रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22032022-234362
CG-DL-E-22032022-234362

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 213] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 22, 2022/ चैत्र 1, 1944
No. 213] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 22, 2022/ CHAITRA 1, 1944

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(मत्स्यपालन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2022

सा.का.नि. 216(अ).–तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 (2005 का 24) की धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, तटीय जलकृषि प्राधिकरण नियम, 2005 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

1. (1) इन नियमों को तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) नियम, 2022 कहा जा सकता है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. तटीय जलकृषि प्राधिकरण नियम, 2005 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 9 में,-

(क) उप-नियम 1- में

(i) उप-नियम (1)के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(1) तटीय जलकृषि फार्म के रजिस्ट्रिकरण के लिए प्रत्येक आवेदन उपमंडल स्तरीय समिति जहां तटीय जलकृषि फार्म अवस्थित है या किसी विशेष जिले में उपखण्ड की अनुपस्थिति में सीधे जिला स्तरीय समितियों को किया जाएगा जैसा कि

प्राधिकरण द्वारा प्रपत्र I में निर्धारित है, जिसे उप-मंडल स्तरीय समिति या जिला स्तरीय समिति के सदस्य संयोजक के कार्यालय से, या प्राधिकरण के कार्यालय से या प्राधिकरण की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है " प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"बशर्ते कि प्राधिकरण जनहित में निर्धारित प्रपत्र I में आवेदन को इलेक्ट्रॉनिक या ऑनलाइन दाखिल करने का प्रावधान कर सकता है";

(ख) उप-नियम (2) में, सारणी में, कॉलम 1 में ,-

(i) क्रम संख्या 2 के स्थान पर शब्द और अंक "5.1 से" तक, शब्द और अंक "5 हेक्टेयर से ऊपर" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) क्रमांक 3 के स्थान पर शब्द और अंक "10.1 हेक्टेयर जल प्रसार क्षेत्र और उससे अधिक" शब्द और अंक "10 हेक्टेयर से अधिक जल प्रसार क्षेत्र" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ग) उप-नियम (3) में, -

(i) "सदस्य संयोजक" शब्दों के बाद, "उप-मंडल स्तरीय समिति" अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ii) "प्राधिकरण" शब्दों के बाद "या तटीय जलकृषि प्राधिकरण के पक्ष में ऑनलाइन मोड के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

3. उक्त नियमों के नियम 10 में, -

(क) उप-नियम (1) के लिए। -

(i) निम्नलिखित उप-नियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्; -

"(1) नियम 9 के उप-नियम (1) के अंतर्गत आवेदन प्राप्त होने पर, उप-मंडल स्तर की समिति या जिला स्तर की समिति किसी विशेष जिले में उप-मंडल की अनुपस्थिति में सहायक दस्तावेजों सहित तटीय जलीय कृषि फार्म के संबंध में उनके आकार पर ध्यान दिए बगैर आवेदन की जाँच करेगी";

(ii) खंड (क) में, शब्द "जिला स्तरीय समिति" के स्थान पर, शब्द उप-मंडल स्तरीय समिति" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iii) खंड (क) में, "राज्य स्तरीय समिति को सूचना के अंतर्गत" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(iv) खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(ख) 2.0 हेक्टेयर से अधिक जल प्रसार क्षेत्र और 5.0 हेक्टेयर जल प्रसार क्षेत्र के तटीय जलीय कृषि फार्मों के मामले में, उप-मंडल स्तर की समिति निरीक्षण सहित इस तरह की जांच करने के बाद ही रजिस्ट्रिकरण पर विचार करने के लिए सीधे प्राधिकरण को आवेदन की सिफारिश करेगी।, जैसा कि यह संतुष्ट करने के लिए उचित समझे कि ऐसे फार्म का पंजीकरण तटीय पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं होगा";

(v) खंड (ख) के बाद, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्: -

"(ग) 5.0 हेक्टेयर से अधिक जल प्रसार क्षेत्र के तटीय जलकृषि फार्मों के मामले में, उप-मंडल स्तरीय समिति जिला स्तरीय समिति को रजिस्ट्रिकरण पर विचार करने के लिए आवेदन की अनुशंसा निरीक्षण सहित ऐसी जांच करने के बाद ही करेगी जो वह संतुष्टि के लिए उचित समझे कि ऐसे फार्म का रजिस्ट्रिकरण तटीय पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं होगा और यह सुनिश्चित करने के लिए आगे जाँच करना कि तटीय जलीय कृषि फार्म तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण दिशानिर्देशों में निर्धारित शर्तों के अनुरूप है।

(घ) जिला स्तरीय समिति संतुष्ट होने पर रजिस्ट्रिकरण पर विचार करने के लिए प्राधिकरण को आवेदन की सिफारिश करेगी:

बशर्ते कि जिला स्तरीय समिति में ऐसी सिफारिश करने के लिए बैठक में जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष और सदस्य संयोजक सहित सदस्यों के दो तिहाई सदस्य होंगे।";

(ख) उप-नियम (2) में, "लिखित" शब्द के बाद, "संबंधित उप-मंडल स्तरीय समिति द्वारा" शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ग) उपनियम (4), के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा,अर्थात्:-

"(4) इस नियम के प्रयोजनार्थ उप-मंडल स्तरीय और जिला स्तरीय समितियों की संरचना निम्ननानुसार होगा:-

"क. उप-मंडल स्तरीय समिति

(क) उप-मंडल के राजस्व मंडल अधिकारी या उप-कलेक्टर	: अध्यक्ष, पदेन;
(ख) उप-मंडल के भीतर तहसीलदार या मंडल राजस्व अधिकारी	: सदस्य, पदेन;
(ग) उप-मंडल कृषि अधिकारी या समकक्ष	: सदस्य, पदेन;
(घ) सहायक वन संरक्षक या समकक्ष	: सदस्य, पदेन;
(ङ) सिंचाई या जल संसाधन के उप-मंडल अधिकारी	: सदस्य, पदेन;
(च) खंड विकास अधिकारी	: सदस्य, पदेन;
(छ) जिले में सहायक निदेशक मात्स्यिकी या समकक्ष	: सदस्य संयोजक, पदेन।

ख. जिला स्तरीय समिति

(क) जिला कलेक्टर या जिले के उपायुक्त या अपर कलेक्टर या संयुक्त कलेक्टर या अपर उपायुक्त	: अध्यक्ष, पदेन;
(ख) राजस्व मंडल अधिकारी या उप-मंडल के उप-कलेक्टर	: सदस्य, पदेन;
(ग) मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद या समकक्ष	: सदस्य, पदेन;
(घ) कृषि के जिला प्रमुख	: सदस्य, पदेन;
(ङ) प्रभागीय वन अधिकारी या समकक्ष	: सदस्य, पदेन;
(च) सिंचाई या जल संसाधन के जिला प्रमुख	: सदस्य, पदेन;

(छ) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के प्रतिनिधि : सदस्य, पदेन;

(ज) जिले का कोई अन्य सरकारी अधिकारी जिसे जिले के कलेक्टर :सदस्य, पदेन;

या उपायुक्त द्वारा सहयोजित किया जाये ।

(झ) मत्स्यपालन के जिला प्रमुख : सदस्य संयोजक, पदेन ”।

4. उक्त नियमों के नियम 11 में, "रजिस्ट्रिकरण प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा" शब्दों के स्थान पर "प्राधिकरण इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रजिस्ट्रिकरण प्रमाणपत्र प्रदान कर सकता है" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

5. उक्त नियमों के नियम 12 में, -

(क) उप-नियम (1) में .-

(i) " पूर्व "शब्द के स्थान पर भीतर" शब्द"प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii)"फॉर्म III" शब्दों और अक्षरों के बाद,"स्वामित्व स्थापित करने वाले दस्तावेजों के साथ" शब्द; अंत:स्थापित किए जाएंगे।

(ii) निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"बशर्ते कि प्राधिकरण स्वयं या उप-मंडल स्तर की समिति या जिला स्तरीय समिति के माध्यम से जो ठीक समझे आवेदन में किए गए ऐसे दावे की पुष्टि करने के लिए निरीक्षण सहित कोई भी जांच कर सकता है और तटीय जलीय कृषि फार्म इस अधिनियम, नियमों, विनियमों या इसके अंतर्गत बनाए गए दिशानिर्देशों के अंतर्गत किसी भी चूक के लिए उत्तरदायी होगा";

(ख) उप-नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(3) फार्म के रजिस्ट्रिकरण के नवीनीकरण के लिए शुल्क का भुगतान तटीय जलकृषि प्राधिकरण को डिमांड ड्राफ्ट के रूप में या इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऑनलाइन मोड के माध्यम से किया जाएगा।"

6. उक्त नियमों के फार्म II में, तटीय जलकृषि फार्म के रजिस्ट्रिकरण के लिए शर्तों के अंतर्गत शीर्षक क्रमांक 2 के स्थान पर निम्नलिखित क्रमांक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"2. बशर्ते कि ऐसी शर्तों के अधीन जो प्राधिकरण ठीक समझे, प्राधिकरण द्वारा रजिस्ट्रिकरण की शर्तों को वैधता की शेष अवधि के लिए फार्म के कानूनी-उत्तराधिकारी या हस्तांतरी को हस्तांतरित किया जा सकता है"।

बशर्ते यह भी कि ऐसे हस्तांतरण के लिए प्रासंगिक अभिलेखों के साथ आवेदन उस प्राधिकारी को किया जाएगा जो बदले में रसीद की पावती देगा और ऐसे हस्तांतरण के लिए संबंधित अभिलेखों के साथ आवेदन का निपटान प्राधिकरण द्वारा सामान्यत: इसकी प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर किया जाएगा। ” ।

[फा. सं. जे-1903336/3/2021-मा. (ई-18647)]

डॉ. जे. बालाजी, संयुक्त सचिव

नोट : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.नि. 740 (अ), दिनांक 22 दिसंबर, 2005 को प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार सा.का.नि. 895 (अ), दिनांक 23 नवंबर, 2015 संशोधित किए गए थे ।

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

(Department of Fisheries)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th March, 2022

G.S.R. 216(E).—In exercise of the powers conferred by section 24 of the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 (24 of 2005), the Central Government, hereby makes the following rules further to amend the Coastal Aquaculture Authority Rules, 2005, namely: -

1. (1) These rules may be called the Coastal Aquaculture Authority (Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force from the date of their publication of the Official Gazette.

2. In the Coastal Aquaculture Authority Rules, 2005, (hereinafter referred to as the said rules), in rule 9, -

(a) in sub-rule (1) -

(i) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely: -

"(1) Every application for the registration of a coastal aquaculture farm shall be made to the Sub-Divisional Level Committee where the coastal aquaculture farm is located or directly to the District Level Committees in absence of a sub-division in a particular District as set up by the Authority in Form I, obtainable from the office of the Member Convener of Sub-Divisional Level Committee or District Level Committee, or from the office of the Authority or downloaded from the website of the Authority", shall be substituted;

(ii) the following proviso shall be inserted, namely: -

"Provided that the Authority in the public interest may make provision for electronic or on-line filing of an application in prescribed Form I";

(b) in sub-rule (2), in TABLE, in column 1, -

(i) for serial number 2, the words and figures "From 5.1 to", the words and figures "Above 5 ha upto" shall be substituted;

(ii) for serial number 3, the words and figures "From 10.1 ha water spread area and above", the words and figures "Above 10 ha water spread area" shall be substituted;

(c) in sub-rule (3), -

(i) after the words "Member Convener of the", the word "Sub-Divisional Level Committee or" shall be inserted;

(ii) after the words "the Authority", the words "or electronically through online mode in favour of the Coastal Aquaculture Authority" shall be inserted.

3. In rule 10 of the said rules, -

(a) for sub-rule (1). -

(i) the following sub-rule shall be substituted, namely; -

"(1) On receipt of an application under sub-rule (1) of rule 9, the Sub-Divisional Level Committee or the District Level Committee in the absence of a sub-division in a particular District shall scrutinize the application including supporting documents furnished therewith in respect of the coastal aquaculture farm irrespective of their size" ;

(ii) in clause (a), for the words "District Level Committee", the word "Sub-Divisional Level Committee" shall be substituted;

(iii) in clause (a), the words "under intimation to the State Level Committee" shall be omitted;

(iv) for clause (b), the following clause shall be substituted, namely: -

"(b) in the case of coastal aquaculture farms above 2.0 ha of water spread area and upto 5.0 ha of water spread area, the Sub-Divisional Level Committee shall recommend the application directly to the Authority for consideration of registration only after making such inquiry including inspection as it thinks fit to satisfy that the registration of such farm shall not be detrimental to the coastal environment";

(v) after clause (b), the following clauses shall be inserted, namely: -

"(c) in the case of coastal aquaculture farms above 5.0 ha of water spread area, the Sub-Divisional Level Committee shall recommend the application to the District Level Committee for consideration of registration only after making such inquiry including inspection as it thinks fit to satisfy that the registration of such farm shall not be detrimental to the coastal environment and making further inquiries to ascertain that the coastal aquaculture farm conforms to the stipulations laid down in the Coastal Aquaculture Authority Guidelines.

(d) The District Level Committee upon satisfaction shall further recommend the application to the Authority for consideration of registration:

Provided that the District Level Committee shall have two third of the members including the Chairperson and member convener of the District Level Committee in the meeting for making such recommendation.";

(b) in sub-rule (2), after the word "writing", the words "by the Sub-Divisional Level Committee concerned" shall be inserted;

(c) for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely: -

"(4) For the purpose of this rule, the compositions of Sub- Divisional Level and District Level Committees shall be as below:

"A. Sub-Divisional Level Committee

(a)	Revenue Divisional Officer or Sub-Collector of a sub-division	: Chairperson, ex-officio;
(b)	Tahsildar or Mandal Revenue officer within the sub-division	: Member, ex-officio;
(c)	Sub-divisional Agriculture Officer or equivalent	: Member, ex-officio;
(d)	Assistant Conservator of Forest or equivalent	: Member, ex-officio;
(e)	Sub-divisional officer of Irrigation or Water Resources	: Member, ex-officio;
(f)	Block Development Officer	: Member, ex-officio;
(g)	Assistant Director of Fisheries in the district or equivalent	: Member Convener; ex-officio.

B. District Level Committee

(a)	District Collector or Deputy Commissioner of the District or Additional Collector or Joint Collector or Additional Deputy Commissioner	:Chairperson,ex-officio;
(b)	Revenue Divisional Officer or Sub-Collector of sub-division	:Member, ex-officio;
(c)	Chief Executive Officer of Zilaparishad or equivalent	:Member, ex-officio;
(d)	District Head of Agriculture	:Member, ex-officio;
(e)	Divisional Forest Officer or equivalent	:Member, ex-officio;
(f)	District Head of Irrigation or Water Resources	:Member, ex-officio;
(g)	Representative from Marine Products Export Development Authority	:Member, ex-officio;
(h)	Any other Government Official in the District to be co-opted by the Collector or Deputy Commissioner of the District.	:Member, ex-officio;
(i)	District Head of Fisheries	:Member Convener, ex-officio ".

4. In rule 11 of the said rules, for words "a certificate of registration shall be granted" the words "the Authority may grant the certificate of registration through electronic means" shall be substituted.

5. In rule 12 of the said rules, -

(a) in sub-rule (1). -

(i) for the word "before", the word "within", shall be substituted;

(ii) after the words and letters "Form III", the words "along with the documents establishing the ownership" shall be inserted;

(iii) the following proviso shall be inserted, namely: -

"Provided that the Authority may undertake any inquiries including inspections as deem fit to confirm such claim as made in the application by itself or through Sub-Divisional Level Committee or District Level Committee and the coastal aquaculture farm shall be liable for any acts of omission or commission under this Act, rules, regulations or Guidelines made thereunder";

(b) for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely:

"(3) The fees for renewal of registration of the farm shall be paid to the Coastal Aquaculture Authority in form of Demand draft or electronically through online mode".

6. In Form II of the said rules, under the heading conditions for registration of coastal aquaculture farm, for serial number 2, the following serial number shall be substituted, namely:

"2. Provided that subject to such conditions as the Authority may deem fit, the conditions of registration may be transferred by the Authority to the legal-heir or transferee of the farm for the remaining period of validity.

Provided further that the application for such transfer with relevant records shall be made to the authority who in turn shall acknowledge the receipt and the application for such transfer with relevant records shall be disposed by the authority ordinarily within 15 days of its receipt.".

[F. No. j-1903336/3/2021-Fy (E-18647)]

Dr. J. BALAJI, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 740(E), dated 22nd December, 2005 and last amended *vide* number G.S.R. 895(E), dated 23rd November, 2015.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM
Digitally signed by SURENDER MAHADASAM
Date: 2022.03.22 17:33:52 +05'30'